



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13072021-228276
CG-DL-E-13072021-228276

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196]

नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 13, 2021/आषाढ 22, 1943

No. 196]

NEW DELHI, TUESDAY, JULY 13, 2021/ASHADHA 22, 1943

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(विदेश व्यापार महानिदेशालय)
सार्वजनिक सूचना
नई दिल्ली, 13 जुलाई, 2021
सूचना सं. 14 / 2015-2020

विषय: विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों हेतु परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए) स्कीम के तहत दावों को प्रस्तुत करने की समयावधि में विस्तार।

फा. सं. 01/92/180/12/एम-22/पी.सी-VI/ई-27866.—समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति 2015-2020 के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्वारा प्रक्रिया पुस्तक (2015-20) के अध्याय 7 (क) में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित संशोधन करते हैं:

पैरा 7क.01(घ) में, निम्नलिखित वाक्य को अंत में जोड़ा जाता है:

“दिनांक 31 मार्च, 2020 और 30 जून, 2020 को समाप्त तिमाहियों हेतु ऐसे दावों के रिफंड के लिए आवेदन दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक प्रस्तुत किए जा सकते हैं।”

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभाव: दिनांक 31.03.2020 और 30.06.2020 को समाप्त तिमाहियों हेतु टीएमए स्कीम के तहत सहायता हेतु दावों को दिनांक 30 सितम्बर, 2021 तक प्रस्तुत किया जा सकता है।

अमित यादव, महानिदेशक विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, 13th July, 2021

No. 14 /2015-2020

Subject: Extension of time limit for filing claims under the Transport and Marketing Assistance (TMA) Scheme for specified agricultural products.

F. No. 01/92/180/12/AM-22/PC-VI/E-27866.—In exercise of powers conferred under paragraph 2.04 of the Foreign Trade Policy 2015-2020, as amended from time to time, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in Chapter 7(A) of the Handbook of Procedures (2015-20) with immediate effect :

In para 7A.01(d), the following sentence is added at the end :

“Application for refund of such claims for the quarter ending 31st March, 2020 and 30th June, 2020 may be filed upto 30th September, 2021”.

Effect of this Public Notice: The claims for assistance under the TMA Scheme for the quarters ending on 31.03.2020 and 30.06.2020 can be filed upto 30th September, 2021.

AMIT YADAV, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Additional Secy.